FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

मनोहर .... बनाम .... श्री किशन

किस्म मुकदमा .... इजराय .... नम्बर ...57A... सन् ...2022...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/7/22	प्रार्थी की और से इजराय का प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री कमलप्रकाश शर्मा द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार दीगोद को पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक ...12/1/23... को पेश हो।	
12/1/23	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक .... [illegible]/23 .... को पेश हो।	
28/3/23	~~पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप॰ पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार इजराय की पालना नामान्तरण सं॰ 1130 दिनांक 28/11/22 से हो चुकी है। पत्रावली कौसल शुमार एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।~~	
6/[illegible]/23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप॰। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार इजराय की पालना नामान्तरण संख्या 1130/28/11/22 से हो चुकी है। पत्रावली कौसल शुमार एवं नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0 71/21

तारीख दायरा 01.07.2021

तारीख फैसला 15.9.22 (8)

पीठासीन अधिकारी -- हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस)

1. मनोहर पुत्र श्री किशन
2. हरिओम पुत्र श्री किशन जाति धाकड निवासी जाखडोन तह0 दीगोद

(वादी)

बनाम

1. श्री किशन पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी जाखडोन तह0 दीगोद
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद
3. राजेश बाई पुत्री श्री किशन पत्नि कृष्ण मुरारी जाति धाकड
4. लक्ष्मीनागर पुत्री श्री किशन पत्नि रमेशचन्द जाति धाकड

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :- श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :- धनराज नण्डावत एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन</u>

<u>-: निर्णय :-</u>

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम जाखडोन तह0 दीगोद जिला कोटा खाता संख्या पुराना 285 तथा खाता संख्या नया 304 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 290 की रकबा 2.47 है0, खसरा नम्बर 293 की रकबा 1.03 है0, खसरा नम्बर 294 की रकबा 1.11 है0, खसरा नम्बर 308 की रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 532 की रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 533 की रकबा 0.06 है0 तथा खसरा नम्बर 534 की रकबा 0.08 है0 कुल किता 7 की रकबा 5.33 है0 भूमि स्थित है।

यह कि उक्त आराजीयात वादी के पूर्वजों के समय से चली आ रही है यानि पेत्रक सम्पति है, जो की इस समय प्रतिवादी नम्बर 1 की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 1 की उपरोक्त आराजीयात वादीगण के दादा श्री रामनारायण जी से प्राप्त हुई है। यह कि वादी नम्बर 1 व 2 प्रतिवादी नम्बर 1 के पुत्र है तथा वादीगण व प्रतिवादी गण संयुक्त परिवार के सदस्य है।

यह कि पक्षकारान के मध्य आपस में पारिवारिक बटवारा हो गया था जिसके तहत खसरा नम्बर 290 की 2.47 है0 खसरा नम्बर 293 की 1.03 है0 तथा खसरा नम्बर 294 की 1.11 है0 भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 ने हम वादीगण को काश्त हेतु दी हुई है जिस पर वादीगण कब्जा निरन्तर अबाध रूप से चला आ रहा है तथा आज भी वादीगण ही उपरोक्त आराजीयात पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है।

असल से मिलान किया

पढ़ा सुना

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि इसी प्रकार से पारिवारिक बटवारे में प्रतिवादी नम्बर 1 के पास खसरा नम्बर 308 की रकबा 0.41 है. 532 की 0.17 है0, 533 की 0.06 है, 534 की 0.08 है0 भूमि आई है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज होकर काश्त कर रहा है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 से पारिवारिक हुये बटवारे के तहत वादीगण के हिस्से में आई उक्त भूमि का बटवारा नियमानुसार करवाकर उनके पृथक से खाते में दर्ज करवाने हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा इन्कार कर दिया है

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषण एवं विभाजन का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

अतः वाद पेश कर वादी द्वारा निवेदन किया है कि वाद के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिकी पारित की जावेः–

(1) यह कि ग्राम जाखडोन तहसील दीगोद में स्थित कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 290 की 2.14 है0, 293 की 1.03 है0, 294 की 1.11 है0, 308 की 0.41 है0 , 532 की 0.17 है0 533 की 0.06 है0 , 534 की 0.06 है0 का वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य आपसी पारिवारिक बटवारा अनुसार बटवारा कर डिकी पारित कर खसरा नम्बर 290 रकबा 2.47 है0, 293 रकबा 1.03 है, 294 की 1.11 है0 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के पृथक खाते में दर्ज किया जावे। इसी प्रकार से खसरा नम्बर 308 रकबा 0.41 है0, 532 रकबा 0.17 है0, 533 रकबा 0.06 है0, 534 रकबा 0.08 है0 भूमि को बटवारा में प्रतिवादी नम्बर 1 को देते हुये उसके पृथक खाते में दर्ज किये जाने आदेश प्रदान करे।

वदीगण की और से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है :–

1. नकल जमाबन्दी संवत् 2075–2078 ग्राम जाखडोन तह0 दीगोद

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गई प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाब दावा सहमति परक प्रस्तुत कर विशेष कथन निम्न प्रकार किया है:– यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार है। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्र कर दिया जाने में प्रतिवादी गण नम्बर 1 को कोई आपत्ति नही है। वाद को वाद वादी की प्रार्थना अनुसार डिकी कर प्रतिवादी नम्बर 1 का खाता पृथक से किया जावे व राजस्व रिकार्ड वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में आने वाली भूमि का अमल दरामद पृथक – पृथक् करने की कृपा करे।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है और राजीनामें के अनुसार उक्त दावे को डिकी करना चाहते है इसमें प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है व कोई आपत्ति नही है। उभय पक्ष में आपसी सहमति बनने एवं सहमति से उभय पक्ष में राजीनामा होने पर प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा एक लिखित राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया :–

यह कि पक्षकारान के मध्य आपस में समझौता हो गया है जिसके अनुसार पक्षकारान के मध्य पृथक – पृथक भूमि निम्नानुसार है।

असल से मिलान किया

पढ़ा सुना

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वादीगण में बटवारा के तहत आने वाली भूमि का विवरण

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
जाखडोन	290	2.47 है0
जाखडोन	293	1.03 है0
जखडोन	294	1.11 है0
	कुल किता 3	कुल रकबा 4.61 है0

FOR COPYING FEES ONLY

प्रतिवादी नम्बर 1 को प्राप्त होने वाली भूमि का विवरण

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
जाखडोन	308	0.41 है0
जाखडोन	532	0.17 है0
जखडोन	533	0.06 है0
जखडोन	534	0.06 है0
	कुल किता 4	कुल रकबा 0.70 है0

यह कि पक्षकारान मौके पर भी उपरोक्त अनुसार ही भूमि पर पृथक–पृथक से काबिज है तथा इसी अनुसार राजीनामा के तहत पक्षकारान के मध्य बटवारा करते हुये पृथक–पृथक से भूमि खाते में दर्ज करने में पक्षकारान को कोई आपत्ति नही है। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रतिवादी कम 3,4 उक्त भूमि (कुल किता 7 रकबा 5.31 है0) में किसी प्रकार का हिस्सा नही लेना चाहती है इस कारण उपरोक्त भूमि में उपरोक्तानुसार प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री पारित किये जाने में प्रतिवादी कम 3,4 द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होना जाहिर की है।

अतः वाद में राजीनामा पेश कर प्रार्थना है कि वादी का वाद राजीनामा के आधार पर डिकी फरमा दिया जावे।

वाद में उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाने योग्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ,3,4 में राजीनामा प्रस्तुत किया है :– ग्राम जाखडोन तहसील दीगोद में खाता संख्या पुराना 285 तथा खाता संख्या नया 304 की कुल किता 7 रकबा 5.31 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक विभाजन अनुसार खातेदारी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी कम 3, 4 द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग करने पर नियमानुसार हक त्याग का शुल्क वसूल करते हुये निर्णय अनुसार पालना की जावे। अतः वादीगण का वाद पत्र सहमति पूर्वक राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

वादीगण कमांक 1 व 2 के खाते में निम्न भूमि हिस्सा बराबरः–

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
जाखडोन	290	2.47 है0
जाखडोन	293	1.03 है0
जखडोन	294	1.11 है0
	कुल किता 3	कुल रकबा 4.61 है0

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

असल से मिलान किया
पढ़ा सुना

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण 1 के खाते में निम्न भूमि हिस्सा बराबर :-

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
जाखडोन	308	0.41 है0
जाखडोन	532	0.17 है0
जखडोन	533	0.06 है0
जखडोन	534	0.06 है0
	कुल किता 4	कुल रकबा 0.70 है0

मुताबिक निर्णय अनुसार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तदनुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.9.22 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

असल से मिलान किया

पढ़ा सुना

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)